

20/12/16

वादी रमेश कुमार अनुपरिचित एवं  
क्षरकार परेकार उपरिचित।

पत्रावली अपलोडन से  
पाया गया कि वादी रमेश कुमार  
द्वारा पेश वादपत्र अन्तर्गत धारा  
88, 89, 92 ए, 188 रा. आ. अधिनियम  
पर पहचान कर्ता के रूप में Oath  
Commissioner के हस्ताक्षर नहीं  
देकर वादी द्वारा स्वयं हस्ताक्षर  
दिये गये हैं इस प्रकार वादी द्वारा  
अपूर्ण दरतावेज पेश किये गये हैं।  
इस बावजूद वादी रमेश कुमार को  
विधिवत रूप से बार-बार आवेजें  
दिलवाई गई बावजूद वादी रमेश कुमार  
न्यायालय दफ्तर में अनु. रहे। अतः  
वादी की अदम दफ्तर एवं अदम  
पैरवी साथ ही अपूर्ण दरतावेज के  
अभाव में यह पत्रावली नोन  
Complain of order में जारी  
की जाती है पत्रावली कुलल में कुमार  
वगैर से कम दोहर दारिखल  
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर, जिला-पाली